

अनुदान संख्या 59 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
GRANT No. 59 - MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	4361,67,00	4361,68,00	4028,07,12	-333,60,88
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				304,46,76
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-		13,54,00	4,29,32	-9,24,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				8,02,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2220”	Major Head “2220”				
सूचना और प्रचार	Information and Publicity				
मू.	O.	87209.00	84769.49	82120.30	-2649.19
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-2440.51			
मुख्य शीर्ष “2221”	Major Head “2221”				
प्रसारण	Broadcasting				
मू.	O.	324736.00	312476.00	312476.00	..
पु.	R.	-12260.00			

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत—
Total grant	Actual expenditure	Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"	
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	
मू.	O.	16265.00
पु.	R.	-16265.00

(I) ₹18336.80 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹17810.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष "2220" – "फिल्म – फिल्मों का निर्माण – एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र" – ₹2050.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552"

(क) "फिल्म – फिल्मों का निर्माण – एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास" – ₹2300.00 लाख;

(ख) "अन्य (सूचना एवं प्रचार) – विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)" – ₹1960.00 लाख; और

(ग) "सामान्य (प्रसारण) – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)" – ₹11500.00 लाख।

(I) Provision of ₹18336.80 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹17810.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2220" - "Films - Production of Films - National Centre of Excellence for Animation, Gaming and Special Effects" - ₹2050.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) Major Head "2552"-

(a) "Films - Production of Films - Infrastructure Development in SRFTI" - ₹2300.00 lakhs;

(b) "Others (Information and Publicity) - Advertising and Visual Publicity - Development Communication and Information Dissemination (DCID)" - ₹1960.00 lakhs; and

(c) "General (Broadcasting) - Grants to Prasar Bharati - Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)" - ₹11500.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) मुख्य शीर्ष “2220” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) “फिल्म – फिल्मों का निर्माण” –

(क) “फिल्म प्रभाग” – ₹539.08 लाख की बचत (₹5296.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं कोविड-19 की वजह विविध कार्यकलापों के होने के कारण हुई।

(ख) “राष्ट्रीय फिल्म धरोधर मिशन” – ₹962.93 लाख की बचत (₹1748.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संसोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने की वजह से कार्यकलापों की प्राथमिकता होने के कारण हुई।

(खा) “अन्य” –

(क) “विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार – आउटरीच और संचार ब्यूरो” – ₹2292.96 लाख की बचत (₹18174.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को कम करने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संसोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने एवं कोविड-19 की वजह से कम कार्यकलापों को किए जाने के कारण हुई।

(ख) “प्रेस सूचना सेवाएं – प्रेस सूचना ब्यूरो” – ₹563.38 लाख की बचत (₹8932.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधित व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कार्यकलापों को फिर से प्राथमिकता दिए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संसोधित अनुमान चरण पर

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2220” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Films - Production of Films” -

(a) “Films Division” - saving of ₹539.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5296.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and various activities owing to COVID-19.

(b) “National Film Heritage Mission” - saving of ₹962.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1748.00 lakhs) was due to re-prioritisation of activity owing to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Others” -

(a) “Advertising and Visual Publicity - Bureau of Outreach and Communication (BOC)” - saving of ₹2292.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18174.00 lakhs) was due to curtailing Electronic Media Campaigns and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less activities undertaken owing to COVID-19.

(b) “Press Information Services - Press Information Bureau” - saving of ₹563.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8932.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses, re-prioritization of activities,

प्रावधान में कटौती किए जाने एवं कोविड-19 की वजह से कम कार्यकलापों को किए जाने के कारण हुई।

(ग) “प्रकाशन – प्रकाशन प्रभाग” – ₹575.44 लाख की बचत (₹3980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(III) मुख्य शीर्ष “2221” – “सामान्य – प्रसार भारती को अनुदान – प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)” – के अंतर्गत ₹12260.00 लाख की बचत (₹35800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1071.55 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 65 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹496.80 लाख) प्रयुक्त हो गईं जिसके विषय में मुख्य शीर्ष “2220” – “अन्य – जनसंचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण – आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों के उद्घाटन” के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹496.12 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2220” – “फिल्म – फिल्म निर्माण” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास” – ₹2275.37 लाख का अधिक व्यय (₹2261.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग किए जाने के लिए निधियों का

reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less activities undertaken owing to COVID-19.

(c) “Publications - Publication Division” - saving of ₹575.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3980.00 lakhs); and

(III) Under Major Head “2221” - “General - Grants to Prasar Bharati - Broadcasting Infrastructure and Network Development (BIND)” - saving of ₹12260.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under three heads savings of ₹1071.55 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 10 percent to 65 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹496.80 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2020 under Major Head “2220” - “Others - Research and Training in Mass Communication - Opening of New Regional Centres of IIMC”. Actual excess, however, was ₹496.12 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2220” - “Films - Production of Films”- under the following heads:-

(A) “Infrastructure Development in SRFTI” - excess of ₹2275.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2261.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to

पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(खा) “विकास, संचार और फिल्म सामग्री का प्रसार (डीसीडीएफसी)” – ₹538.86 लाख का अधिक व्यय (₹5107.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगबंधु, 50वाँ आईएफएफआई – 2019, फिल्म बाजार से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग किए जाने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹329.70 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4220”	Major Head “4220”	
सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Information and Publicity	
मू.	O.	1354.00
पु.	R.	-802.00

(I) ₹504.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) “Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)” - excess of ₹538.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5107.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Bangbandhu, 50th IFFI - 2019, Film Bazar and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under one head excess of ₹329.70 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
552.00	429.32	-122.68

(I) Provision of ₹504.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads.